

**LL.B. 5th Year (Annual Scheme) Special Chance
Examination, October-2017**

**LAW OF EVIDENCE-II (INDIAN EVIDENCE
ACT, 1872)**

Paper- II

Time allowed : 3 hours]

[Maximum marks : 100

Note : Attempt five questions in all by selecting at least one question from each unit. All questions carry equal marks.

नोट : प्रत्येक इकाई से कम से कम एक प्रश्न का चयन करते हुए, कुल पाँच प्रश्न कीजिए। सभी प्रश्नों के अंक समान हैं।

Unit-I

इकाई-I

1. Every confession is an admission but not vice versa. Explain. 20
प्रत्येक संस्वीकृति एक अभिस्वीकृति है परन्तु प्रतिक्रमान नहीं है। समझाइए। 20
2. Write notes on the following : 20 (10×2)
निम्नलिखित पर टिप्पणियां लिखिए : 20 (10×2)
 - (a) Fact in Issue
मुद्दे में तथ्य
 - (b) Motive
प्रयोजन

9342-P-3-Q-10(17) Tr.

[P.T.O.]

Unit-II
इकाई-II

3. What is 'dying declaration' ? What are the essential requirements of a relevant dying declaration? 20
'मृत्युकालीन प्रकथन' क्या है ? एक प्रासंगिक मृत्युकालीन प्रकथन की अनिवार्य आवश्यकताएं क्या हैं ? 20
4. What do you understand by an expert ? What are the requirements for expert opinion ? What is its evidentiary value? 20
एक सुविज्ञ से आप क्या समझते हैं ? सुविज्ञ मत के लिए आवश्यकताएं क्या हैं ? इसका साक्षिक मूल्य क्या है ? 20

Unit-III
इकाई-III

5. What are the public documents ? State how public documents are proved ? 20
सार्वजनिक प्रलेख क्या हैं ? बताइए किस प्रकार से सार्वजनिक प्रलेखों को प्रमाणित किया जाता है ? 20
6. Write notes on the following : 20 (10×2)
निम्नलिखित पर टिप्पणियां लिखिए : 20 (10×2)
- (a) Facts which need not be proved
तथ्य जिन्हें प्रमाणित करने की आवश्यकता नहीं है
- (b) Primary evidence
प्राथमिक साक्ष्य

Unit-IV**इकाई-IV**

7. Discuss the various kinds of presumptions under Indian Law. 20
 भारतीय कानून के अंतर्गत प्रकल्पना के विभिन्न प्रकारों की विवेचना कीजिए। 20
8. Explain the doctrine of estoppel as enunciated in Sec-115 of the Evidence Act. 20
 विबंधन के सिद्धान्त की व्याख्या, साक्ष्य अधिनियम की धारा-115 में प्रतिज्ञापित अनुसार कीजिए। 20

Unit-V**इकाई-V**

9. Explain in the scope of examination-in-chief, cross-examination, and re-examination under the Indian Evidence Act. 20
 भारतीय साक्ष्य अधिनियम के अंतर्गत - मुख्य-परीक्षा, प्रति-परीक्षा तथा पुनः-परीक्षा के क्षेत्र की व्याख्या कीजिए। 20
10. Write notes on the following : 20 (10×2)
 निम्नलिखित पर टिप्पणियां लिखिए : 20 (10×2)
- (a) Accomplice evidence
 सह-अपराधी साक्ष्य
- (b) Privileged communication between spouses.
 विवाहित जोड़ियों के बीच विशेषाधिकृत संप्रेषण

9342 Tr.